कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर

कार्यालय–ज्ञाप

संख्या:506/3/216/2019

दिनांकः 21 मार्च, 2020

मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.03.2020 एवं मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्रांकः 581/पॉच–5–2020 दिनांक–17 मार्च, 2020 के अनुपालन में समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपायों को लागू करने हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

1. जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया है, दिनांक 02.04.2020 तक संस्थान में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। उपरोक्त अवधि में समस्त छात्र/छात्राएं अपने निवास पर ही आवासित रहकर ई–लागिन के माध्यम से पठन–पाठन का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
2. समस्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारीगण दिनांक 02.04.2020 तक अपने निवास पर ही आवासित रहकर मोबाइल/टेलीफोन/वाह्टस–एप/ई–मेल पर उपलब्ध रहेंगे एवं अति–आवश्यक कार्य के दृष्टिगत राजकीय/संस्थान हित में बुलाये जाने पर उपस्थित होगें। परन्तु ऐसी स्थिति में उनके द्वारा सेनेटाइजर प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि बिना पूर्वानुमति मुख्यालय/स्टेशन नहीं छोड़ेगें। संस्थान में आवश्यक सेवाएं जैसे–बिजली, पानी, इंटरनेट एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अपनी सेवाएं उक्त अवधि में देते रहेंगे।
3. शिक्षकों द्वारा इस अवधि के दौरान ई–मेल/डिजिटल माध्यम से कोर्स मैटेरियल/एसाइनमेंट वितरण एवं कक्षाओं का सम्पादन पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 1127/1/116/2019, दिनांक 19.03.2020 के अनुसार किया जाता रहेगा।
4. समस्त कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं को ताला बंद रखा जाये। इस अवधि में लैब स्टाफ को भी अपने–अपने घरों में रहने की अनुमति होगी, परन्तु बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिससे आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा उनसे सम्पर्क किया जा सके।
5. कुलसचिव के0एन0आई0टी0 सुलतानपुर से अपेक्षित है कि वे संस्थान के समस्त कार्यालयों में मेज कुर्सियॉं, दरवाजे, हैण्डेल, टायलेट आदि का सेनेटाइजेशन नियमित रूप से सुनिश्चित करायेगे, तथा कर्मचारियों हेतु आवश्यक दवा/मास्क आदि भी उपलब्ध करायेगे।
6. कुलसचिव के0एन0आई0टी0 सुलतानपुर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों को संस्थान में फ्लेक्स आदि के माध्यम से प्रसारित करवाने की कार्यवाही करेंगे तथा संस्थान कैम्पस की साफ–सफाई, सेनिटेशन, फागिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

Scanned with CamScanner

7. संस्थान के समस्त एफ0डी0पी0, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम,अथवा गेदरिंग सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।
8. समस्त सफाई कर्मी/उद्यान कर्मी कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क/रूमाल/गमछा इत्यादि का प्रयोग करेंगे।
9. समस्त कर्मी अपने स्तर से भी स्वच्छता एवं सोशियल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित करेंगे तथा हाथ मिलाने, गले लगाने जैसे अभिवादन के तरीके का प्रयोग करने से बचेंगे।
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देश जो संलग्न है, के अनुसार कार्यवाही करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी मा0 प्रधानमंत्री जी के कोरोना वाइरस के प्रसार की रोकथाम के सम्बन्ध में दिनांक 22.03.2020 को प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक **"जनता कर्फ्यू"** के आवाहन का व्यापक जनहित में निष्ठापूर्वक पालन करेंगे।

(जे0 पी0 पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. जिला अधिकारी, जनपद—सुलतानपुर, सुलतानपुर।
3. अधिष्ठाता शैक्षिक/छात्र कल्याण अधिष्ठाता के0एन0आई0टी0, सुलतानपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष के0एन0आई0टी0, सुलतानपुर।
5. कुलसचिव, के0एन0आई0टी0, सुलतानपुर।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, के0एन0आई0टी0, सुलतानपुर। ।

(बी0पी0चौरसिया)
कुलसचिव

Scanned with CamScanner

नोवल कोरोना (COVID-19) को ना

कोरोना को ना का हमारा संकल्प
दूरी और सफाई संयुक्त विकल्प

नोवल कोरोना (COVID-19) के लक्षण

कोरोना वायरस से बचाव के उपाय

धार्मिक स्थल, शादी व सामाजिक समारोहों आदि में भीड़ से बचें।

आवश्यकता पड़ने पर ही यात्रा करें एवं पूर्ण सावधानी बरतें।

कार्यस्थल को विसंक्रमित कराएं एवं साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें।

खाँसी और छींकते समय टिशू पेपर का प्रयोग करें और कूड़ेदान में ही फेंकें।

बुखार, खांसी व सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

बेवजह अपनी आँखें, नाक या मुँह न छुएं। अधिक से अधिक घर पर रहें और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।

लिफ्ट का बटन, दूध का पैकेट, समाचार पत्र, गेट, कुर्सियां, रेलिंग आदि सतही चीजों को छूने के बाद हाथ अवश्य धोएं।

सैनेटाइजर का इस्तेमाल करें/साबुन से जल्दी-जल्दी सही तरीके से हाथ धोएं।

सोशल डिस्टेंसिंग

संक्रमण से बचने-बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से दूरी बनाकर रखें और एक-दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए 22 मार्च, 2020 (रविवार) को सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक **जनता कर्फ्यू** के दौरान घर पर रहकर जिम्मेवार नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें।

होम आइसोलेशन में क्या करें और क्या न करें

- ✓ व्यक्ति 14 दिन तक घर पर ही रहे और एक अलग कमरे में रहे जो हवादार तथा स्वच्छ हो।
- ✓ अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहें।
- ✓ छींकने और खांसने के बाद अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं।
- ✓ लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल स्वास्थ्यकर्मी से सम्पर्क करें।
- ✗ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खाना न खाएं।
- ✗ परिवार के अन्य सदस्यों के निकट संपर्क में न आएं।
- ✗ बार-बार अपना चेहरा, नाक या आँख न छुएं।
- ✗ अनावश्यक रूप से अतिथियों को आमंत्रित न करें।

यदि आप पिछले 14 दिनों में विदेश से लौटे हैं या कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो:-

- खाँसी, बुखार या साँस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। आवश्यकतानुसार आपके लैब टेस्ट करवाए जाएंगे।
- यदि खाँसी, बुखार या साँस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नहीं भी हैं तो भी घर/बाहर अन्य लोगों से संपर्क सीमित करें।
- यात्रा के 28 दिन के भीतर यदि आपको खाँसी, बुखार या साँस लेने में तकलीफ महसूस हो तो स्वास्थ्य विभाग की टोल फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करें।

समाज और सरकार की साझी ज़िम्मेदारी नोवल कोरोना को ना की है पूरी तैयारी

नोवल CORONA को ना

अफवाहों से दूर रहें

स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय:

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०

Scanned with CamScanner